न्यायालय–मुंसिफ, नरकटियागंज
स्वत्व वाद सं0–246/2003
CIS No.-TS 152/2019

अनिरूद्ध प्रसाद एवं अन्य.....वादीगण

बनाम

मु0 लालपरी देवी एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

DATE	ORDER	REMARKS
09.09.2025	उभय पक्षों की ओर से पैरवी है। प्रतिस्थापित प्रतिवादी सं0–01(क) ता 01(ग) की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 09.09.2025 अंतर्गत अंदर धारा 151 व्य0 प्र0 सं0 को प्रतिस्थापित प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रचालित कर कहा गया कि प्रस्तुत वाद में प्रतिस्थापित प्रतिवादी सं0–01(क) ता 01(ग) दिनांक 21.03.2009 को न्यायालय में वकालतन हाजिर हुए थे। प्रस्तुत वाद में प्रतिस्थापित प्रतिवादी सं0–01 ता 03 की ओर से संयुक्त रूप से अपना ब्यान तहरीरी दिनांक 13.06.2025 को न्यायालय में दाखिल किया गया जिसे न्यायालय द्वारा स्वीकार किया गया। प्रतिवादी सं0–01 ता 03 की ओर से दाखिल ब्यान तहरीरी को ही प्रतिस्थापित प्रतिवादी सं0–01(क) ता 01(ग) भी स्वीकार करते है। न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.03.2009 के अनुसार मृत प्रतिवादी सं0–01 उमा शंकर राय का नाम वाद पत्र से विलोपित करके उनके वारिसान मुदालह सं0–1(क) ता 01(ग) का नाम वादपत्र में नहीं जोड़ा गया। अभिलेख के अवलोकन के पश्चात् प्रतिवादीगण के द्वारा इस तथ्य को न्यायालय के समक्ष लाया गया। तब वादीगण द्वारा दिनांक 08.07.2025 को एक आवेदन अंदर धारा 151 सी0पी0सी0 के तहत दाखिल किया गया। तत्पश्चात् न्यायालय के आदेश दिनांक 12.08.2025 के आलोक में मृत प्रतिवादी सं0–01 उमाशंकर राय का नाम इस वाद से विलोपित हुआ और उनके जगह पर उनके वारिसान मुदालह नं0–01(क) ता 01(ग) प्रतिस्थापित हुए है। आवेदन समय–सीमा के अंदर है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि प्रतिवादी सं0–01 ता 03 की ओर से दाखिल ब्यान तहरीरी को ही प्रतिस्थापित प्रतिवादी सं0–01(क) ता 01(ग) के ब्यान	

न्यायालय–मुंसिफ, नरकटियागंज
स्वत्व वाद सं0–246/2003
CIS No.-TS 152/2019

अनिरूद्ध प्रसाद एवं अन्य.....वादीगण

बनाम

मु0 लालपरी देवी एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

लगातार 09.09.2025	तहरीरी के रूप में स्वीकार की जाए। वादीगण के द्वारा प्रतिस्थापित प्रतिवादी सं0–01(क) ता 01(ग) के आवेदन का मौखिक विरोध किया गया एवं आवेदन खारिज होने योग्य बताया गया। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद बहस हेतु नियत है। विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि किसी भी वाद का निस्तारण उभय पक्षों को सुनकर किया जाना चाहिए। जिससे वाद का निस्तारण अंतिम रूप से किया जा सके तथा वादों की बहुलता को रोका जा सके। प्रतिस्थापित प्रतिवादी सं0–01(क) ता 01(ग) को अपना पक्ष प्रस्तुत कर वाद में संघर्ष करने का अवसर देना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः न्यायहित में प्रतिस्थापित प्रतिवादी सं0–01(क) ता 01(ग) का आवेदन दिनांक 09.09.2025 को स्वीकार किया जाता है एवं प्रतिवादी सं0–01 ता 03 की ओर से दाखिल ब्यान तहरीरी को ही प्रतिवादी सं0–01(क) ता 01(ग) के ब्यान तहरीरी के रूप में स्वीकार किया जाता है। आगामी दिनांक 07.10.2025 वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत। लेखापित मुंसिफ नरकटियागंज	